

**कार्यालय:** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-२/अराज./ १०९ / २०१६-२०१७ दिनांक ३०अप्रैल, २०१६

‘कार्यालय झाप’

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्थुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निर्मांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन वैष्ट-2 रु 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन वैष्ट-2 रु 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता- संस्कृत (भाषिला शास्त्र) के पद पर मीलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

| क्र० सं० | अध्यापिका का नाम          | वर्तमान तैनाती का विद्यालय                   | वर्तमान पद एवं विषय | पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय | अभ्युक्ति            |
|----------|---------------------------|--|---------------------|---|----------------------|
| 1        | 2                         | 3  | 4                   | 5                                       | 6                    |
| 1        | श्रीमती यशोदा             | राठकोइकाठा० जसपुर,<br>उ०सिं०नार              | स०आ०<br>हिन्दी      | राठबाठ०इकाठ० कोटाबाग,<br>नैनीताल        | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 2        | डॉ० शीता शुक्ला           | राठकोइकाठा० दिनेशपुर<br>उ०सिं०न०             | स०आ०<br>हिन्दी      | राठबाठ०इकाठ० तल्लारामगढ़,<br>नैनीताल    | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 3        | श्रीमती किरन जुयाल        | राठकोउ०माठी०<br>लालपानी पौड़ी                |                     | राठबाठ०इकाठ० थराली,<br>चमोली            | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 4        | श्रीमती इन्दू कोठारी      | राठकोइकाठा० खौराड़ी<br>टिहरी                 |                     | राठबाठ०इकाठ० गौचर, चमोली                | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 5        | श्रीमती रजनी घिल्डियाल    | राठकोउ०माठी० अखोड़ी<br>टिहरी                 | स०आ०<br>सामान्य     | राठबाठ०इकाठ० कारगी,<br>देहरादून         | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 6        | श्रीमती लता पन्त          | राठकोउ०माठी० शान्तिपुरी<br>उ०सिं०न०          | स०आ०<br>हिन्दी      | राठबाठ०इकाठ० भीमताल,<br>नैनीताल         | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 7        | श्रीमती परमेश्वरी पाण्डेय | राठकोइकाठा० अगस्तमुनि<br>लद्धप्रयाग          | स०आ०<br>हिन्दी      | राठबाठ०इकाठ० खुर्पाताल,<br>नैनीताल      | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 8        | डा० मंजू कपरवाण           | राठकोइकाठा०<br>कलालघाटी पौड़ी                | स०आ०<br>संगीत       | राठबाठ०इकाठ० बेलालघाट,<br>नैनीताल       | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 9        | श्रीमती शोभा उनियाल       | राठकोउ०माठी० बडेथी<br>दुर्गी उत्तरकाशी       |                     | राठबाठ०इकाठ० दन्या, अल्मोड़ा            | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 10       | श्रीमती विनीता जोशी       | राठकोइकाठा०<br>कलालघाटी पौड़ी                | स०आ० गृह<br>विज्ञान | राठबाठ०इकाठ० भिकियासेंण,<br>अल्मोड़ा    | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 11       | पुष्पा चन्द्र             | राठकोइकाठा० भीमताल<br>नैनीताल                |                     | राठबाठ०इकाठ० चौरालिया,<br>नैनीताल       | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 12       | श्रीमती चन्द्रकला कार्की  | राठकोइकाठा० गंगोलीहाट<br>पिथौरागढ़           | स०आ० भाषा           | राठबाठ०इकाठ० गंगोलीहाट,<br>पिथौरागढ़    | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 13       | श्रीमती अनीता रानी शर्मा  | रा.उ.मा.पि. वज्रीशारादी<br>खड़खड़ी, हरिद्वार |                     | राठबाठ०इकाठ० सोमेश्वर,<br>अल्मोड़ा      | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 14       | श्रीमती मधु कुकरेटी       | राठकोइकाठा० कोटद्वार<br>पौड़ी                | स०आ०<br>सामान्य     | राठबाठ०इकाठ० मासी, अल्मोड़ा             | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 15       | श्रीमती पुष्पा हटवाल      | राठकोइकाठा० देवप्रयाग<br>टिहरी               | स०आ०<br>सामान्य     | राठबाठ०इकाठ० बेरीनाग,<br>पिथौरागढ़      | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 16       | कु० निर्मला पंत           | राठकोइकाठा० खटीमा<br>उ०सिं०न०                | स०आ०<br>सामान्य     | राठबाठ०इकाठ० काण्डा,<br>बागेश्वर        | रिक्त पद<br>के प्रति |
| 17       | श्रीमती हीरा खण्डूरी      | राठइकाठा० मालदेवता<br>देहरादून               | स०आ०<br>हिन्दी      | राठबाठ०इकाठ० बाडेछीना,<br>अल्मोड़ा      | रिक्त पद<br>के प्रति |

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अन्धरथन स्थितः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधिकों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
4. उक्त पदोन्नतियां मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 1486/एस०एस०/ 2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं० 1487/एस०एस०/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


(बी०एस० नैनी)  
प्रभारी अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू० सं० सेवा-२/अराज०/ २३६५-१४  
/२०१६-२०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदाचि लापरवाही न वर्ती जाय।
- (10) सम्बन्धित प्रधानाधार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निर्मांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें—  
संबंधित शिक्षक/शिक्षिका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा० उच्च न्यायालय के स्थान आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पौंच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उह्ये किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करायें।

- (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ-३ में अकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-३ में अकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें।
- (छ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का काष्ट करें।
- (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाएँ स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तार-१० में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से १५ दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
 (यूडी० गोपाल्सिंह)  
 उप निदेशक,  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।